



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165255

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7766

सन् 2026

अंबिका प्रसाद कोरी

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

नंद किशोर मिश्रा, पवन कुमार त्रिपाठी

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता, वीरेंद्र सिंह परमार

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार त्रिपाठी, सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. परमार और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 137 सन् 2026 के अन्तर्गत धारा 85, 80(2) बीएनएस और धारा 3/4, डी.पी. एक्ट, पुलिस स्टेशन कुलपहाड़, जिला महोबा में अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मृतका का ससुर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के कारण दम घुटना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर फंदे के निशान के अलावा कोई और चोट नहीं पाई गई। यह भी बताया गया है कि आवेदक छतरपुर ज़िले (मध्य प्रदेश) में अलग रह रहा था, जबकि उसका बेटा भोपाल में नौकरी करता था। मृतका और उसका पति भोपाल में रहते थे। आवेदक की उम्र लगभग 70 साल है और वह कई बीमारियों से पीड़ित है। आगे यह भी कहा गया है कि मृतका ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने आवेदक का नाम नहीं लिया था। उसने आरोप लगाया था कि वह अपने पति, सास और ननद नीलम की हरकतों की वजह से आत्महत्या कर रही है। यह भी कहा गया है कि आवेदक का प्रकरण दूसरे सह-अभियुक्तों के प्रकरण से अलग है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जाँच एजेंसी या संबंधित अदालत द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से माना कि मृतका ने अपने वीडियो में आवेदक का नाम नहीं लिया था।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और



गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676

प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. आवेदक मृतक महिला का ससुर है और उसकी उम्र लगभग 70 साल है। मृतक महिला के वीडियो में उसने आवेदक का नाम नहीं लिया। उसने अपने पति, सास और ननद नीलम का नाम लिया और कहा कि वे उसकी आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे। आवेदक का प्रकरण पति, सास और ननद नीलम के प्रकरणों से अलग है। अग्रिम जमानत से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

9. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) उपर्युक्त प्रकरण में शामिल आवेदक - **अंबिका प्रसाद कोरी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगा।

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

7 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला